

2022/8

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

श्री महेन्द्र गोयल पुत्र स्व. श्री सुन्दरसिंह
जाति गोयल
निवासी नयावास नं. 02 वार्ड नं. 31 सिरोही।
जिला सिरोही।


बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 01 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रामपुरा एवं पालडी एम के लोगों के द्वारा दिनांक 29.10.2021 को सामुहिक अर्जी दी थी, उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना, लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रामपुरा एवं पालडी एम के लोगों के द्वारा दिनांक 29.10.2021 को सामुहिक अर्जी दी थी, उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2021 पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही